

NADA का प्ले ट्रू अभियान

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (National Anti Doping Agency-NADA)** भारत ने **वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)** के प्ले ट्रू दविस के उपलक्ष्य में **#PlayTrue** अभियान का समापन किया।

- यह अभियान खिलाड़ियों, कोचों तथा खेल समुदाय को डोपिंग रोधी नियमों को आत्मसात करने, भारत को खेलों में नैतिकता का प्रणेता बनाने के लिये NADA इंडिया की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।
- यह अभियान एथलीटों एवं हतिधारकों के लिये 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में एक लचीला एंटी-डोपिंग ढाँचा स्थापित करने, अंतरदृष्टिका आदान-प्रदान करने तथा रणनीतियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है।
- **NADA:**
 - **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)** की स्थापना भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- **WADA:**
 - **वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency- WADA)** की स्थापना सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों के विकास, सामंजस्य एवं समन्वय के लिये **अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति** के तहत की गई थी।
- **राष्ट्रीय औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) अधिनियम, 1985:**
 - यह अधिनियम **किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नशीली दवा** या मादक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण तथा उपभोग करने से रोकता है।

और पढ़ें: **भारत में डोपिंग नियम**